न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— प्र0—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—394 / 2026
उत्पाद थाना कांड सं0—169 / 26
बिहार राज्य बनाम् दिनेश चौधरी।

दिनेश चौधरी, पे0—स्व0 डुगन चौधरी, उम्र लगभग . वर्ष,
साकिन—कारे वार्ड नं0—06, थाना—शेखपुरा, जिला—शेखपुरा।..................................आवेदक।

<u>वनाम</u>

बिहार सरकार .... विपक्षी।

आवेदक की ओर से : श्री सचिदानन्द यादव, विद्वान अधिवक्ता।

विपक्षी की ओर से : श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

<u>आ दे श</u>

29.04.2026 काराधीन अभियुक्त दिनेश चौधरी की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि दिनांक 07.04.2026 से काराधीन है। उत्पाद थाना कांड सं0—169 / 26 के अंतर्गत 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लम्बित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतया निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के द्वारा पूर्व में इसके अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में इस केस के अलावा अन्य केस 1. उत्पाद थाना कांड संख्या—612 / 2025 इक्साइज नं0—207 / 26 जिसमें 18 लीटर देशी शराब का आपराधिक इतिहास दर्ज है। प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। आवेदक इन्सान व्यक्ति है, श्रीमान के द्वारा जमानत की सुविधा उपलब्ध होने पर फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक श्रीमान के द्वारा जितनी राशि का बंध पत्र देने का आदेश होगा उतनी राशि का बंध पत्र देने को तैयार है। आवेदक श्रीमान के द्वारा जो भी आदेश होगा उसका पालन करने को तैयार है। आवेदक दिनांक 07.04.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया। अतः उपरोक्त अभियुक्त को जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— प्र0—सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0—394 / 2026
उत्पाद थाना कांड सं0—169 / 26
बिहार राज्य बनाम् दिनेश चौधरी।

लगातार

29.04.2026 उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला संक्षेप में है कि उत्पाद थाना दिनांक 07.04.2026 को वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार शेखपुरा थाना अंतर्गत कारे गॉव में गश्ती एवं छापेमारी हेतु मद्यनिषेध सिपाही, गृहरक्षक सिपाही तथा सैप बल के जवानों के साथ समय करीब 07:30 AM बजे गश्ती सह छापेमारी के लिए थाना से सरकारी आवंटित वाहन से प्रस्थान किया। गश्ती सह छापामारी के क्रम में शेखपुरा थाना अंतर्गत कारे गॉव के पास समय करीब 08:10 AM बजे पहुंचा, तो देखा कि एक व्यक्ति अपने दाहिने हाथ में एक सफेद रंग का प्लास्टिक का झोला लेकर जा रहा था। छापामारी दल का गाड़ी देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे शक के आधार पर मुसतैदी के साथ गश्ती दल द्वारा उक्त व्यक्ति को शेखपुरा थाना अंतर्गत कारे गॉव से करीब 200 मीटर पूरब दिशा में सुदासपुर गॉव जाने वाली पक्की सड़क के किनारे क्रेशर के पास ही पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम दिनेश चौधरी, पे0—स्व0 डुगन चौधरी, उम्र लगभग 45 वर्ष, साकिन—कारे वार्ड नं0—06, थाना—शेखपुरा, जिला—शेखपुरा बताया। तत्पश्चात तलाशी नियमों का विधिवत पालन करते हुए नियमानुसार दिनेश चौधरी के कब्जे से बरामद सफेद रंग की प्लास्टिक झोला की तलाशी लिया गया, तो तलाशी के क्रम में प्लास्टिक के झोला के अन्दर 05 लीटर क्षमता वाला हरे रंग का गैलन मिला। गैलन के ढक्कन को खोलकर सुंघने पर गैलन से चुलाई शराब का गंध आया तथा भरा हुआ मिला। कुल चुलाई शराब की मात्रा— 05.000 लीटर बरामद व जप्त हुआ। विधिवत नियमों का पालन करते हुए जप्ती सूची में अंकित किया गया तथा गिरफ्तारी मेमो बनाकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अभिलेख का अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a) Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2018 के अंतर्गत दर्ज किया गया। आवेदक दिनांक 07.04.2026 से काराधीन है। आवेदक के कब्जे से कुल 05.000 लीटर चुलाई शराब बरामद होने का आरोप है। जमानत आवेदन के पारा तीन के अनुसार इनके विरुद्ध पूर्व में 1. उत्पाद थाना कांड संख्या—612 / 2025 इक्साइज नं0—207 / 26 जिसमें 18 लीटर देशी शराब बरामद होने का आपराधिक इतिहास दर्ज है। वाद का अनुसंधान जारी है।

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदक की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदक की ओर से दस

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– प्र0–सतीश कुमार झा
जमानत आवेदन सं0–394/2026
उत्पाद थाना कांड सं0–169/26
बिहार राज्य बनाम् दिनेश चौधरी।

लगातार

29.04.2026 हजार रूपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि एक जमानतदार सगे–संबंधी होंगे तथा इस आशय का शपथ पत्र के साथ अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि––

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदक आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
3. आवेदक के विरूद्ध एक से अधिक आपराधिक इतिहास पाये जाने पर इनका बंधपत्र स्वयं खंडित माना जाएगा।
4. अभियुक्त द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

प्र0– अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 29–04–2026.

Date of Judgment/ Order	29–04–2026
Date of Reserving Judgment/Order	29–04–2026
Uploading Date	30–04–2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.